निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. जय सिंह*, राजीव कुमार सैनी**
*प्राध्यापक, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, रीवा
**शोधार्थी, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय

सारांश

बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सपना [1] ''बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009'' के रूप में स्वतंत्रता के छह दशक बाद साकार हुआ। इस अधिनियम के 1 अप्रैल, 2010 से लागू होने के पश्चात् 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपने नजदीकी विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। अधिनियम की विशेष बात यह है कि गरीब परिवारों के वे बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं, के लिए निजी विद्यालयों में भी 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। विधि आयोग ने निजी विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों के लिये आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत करने का सुझाव दिया था। यह विधेयक केबिनेट द्वारा 2 जुलाई, 2009 को स्वीकृत किया गया। राज्य सभा ने इस बिल को 20 जुलाई, 2009 को व लोक सभा ने 4 अगस्त, 2009 को पारित किया तथा 26 जुलाई, 2009 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 27 अगस्त, 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया है। प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य रीवा जिले में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित कराने हेतु लागू शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन तथा इसके परिणामस्वरूप शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना है। इसके लिए शोधार्थी ने सर्वेक्षण विधि द्वारा साक्षात्कार अनुसूची तथा प्रश्नावली के माध्यम से शोध क्षेत्र के न्यादर्श हेतु चयनित प्रधानाध्यापकों, अधिकारियों, पालक–शिक्षक संघ अध्यक्षों एवं अभिभावकों से साक्षात्कार तथा शिक्षकों से प्रश्नावली पत्रक के माध्यम से शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की। शोध के उपरान्त पाया गया है कि 67.77 प्रतिशत प्रधानाध्यापक, 63.33 प्रतिशत पालक–शिक्षक संघ अध्यक्ष, 66.11 प्रतिशत शिक्षक, 62.22 प्रतिशत अभिभावक एवं 69.44 प्रतिशत अधिकारियों का यह मानना हैं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है।

मुख्य शब्दः *अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, अधिनियम, प्राथमिक शिक्षा*

1. प्रस्तावना

संविधान निर्माता शिक्षा के अधिकार को मूल संविधान में एक मूल अधिकार के रूप में शामिल करना चाहते थे, परन्तु भारत की तत्कालीन परिस्थितियॉ इसके अनुकूल नहीं थीं। अतः उन्होंने इसे राज्य की नीतिनिर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत स्थान दिया तथा इसे राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया, जोकि न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं थे, (कुमावत, 2010) संसद ने इस अधिकार की आवश्यकता को समझते हुए वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा नया अनुच्छेद 21(क) जोड़कर इसे मूल अधिकार के रूप में अध्याय–3 में शामिल कर प्रवर्तनीय बना दिया। उक्त अनुच्छेद 21(क) को संविधान में समाविष्ट करने के कारण अनुच्छेद 45 को भी संशोधित कर इस प्रकार किया गया ''राज्य 6 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सभी बालकों के बाल्यकाल

की देखभाल और शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए अवसर उपलब्ध करेगा।'' इस प्रकार इस अनुच्छेद 45 में संशोधन द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना राज्य का दायित्व तय किया गया। उक्त दोनों संशोधनों के साथ ही भाग–4 मूल कर्तव्यों में भी संशोधन कर अनुच्छेद 51 (क) (ट) जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता–पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा देने के साथ ही इसे नीति निदेशक तत्वों तथा मूल कर्तव्यों में शामिल कर राज्य व अभिभावकों का कर्तव्य बनाया गया, किन्तु इन कर्तव्यों का पालन कराने के लिए कोई सकारात्मक साधन नही था। अतः इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार ने बच्चों के माता–पिता या संरक्षक सभी का दायित्व तय किया गया है तथा उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड का भी प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 21(क) –86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 के पश्चात् नया अनुच्छेद 21–क जोड़ा गया, जो यह उपबन्धित करता है कि ''राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिये उपलब्ध करेगा।''

2. शोध कार्य के उद्देश्य

मुख्य उद्देश्य रीवा जिले में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित कराने हेतु लागू शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन तथा इसके परिणामस्वरूप शिक्षा से वंचित बालक–बालिकाओं की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना तथा इस विशेष अधिनियम की प्रभावशीलता, उपादेयता एवं वास्तविकता को प्रकट कर इसके उद्देश्य पूर्ति में इस शोध अध्ययन के माध्यम से अपनी सहभागिता प्रदान करना भी है। इस शोध अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं–

1 शिक्षा के अधिकार अधिनियम की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना।

2 बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की सार्थकता का ऑकलन करना।

3 शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का ऑकलन करना।

4 प्राथमिक शिक्षा के विकास में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव देना।

5 प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर बच्चों के नामांकन एवं ठहराव तथा शाला त्यागी दर पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर प्रभाव का मूल्यांकन करना।

3. शोध की आवश्यकता एवं महत्व

शोध अध्ययन की विषय–वस्तु शोध क्षेत्र रीवा जिले में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के प्रथम उद्देश्य की पूर्ति पर लक्षित है। अतः यह शोध कार्य शोध क्षेत्र के विशेष संदर्भ में निम्नांकित दृष्टि से आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हैं–

1. प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम की प्रासंगिकता का मूल्यांकन हो सकेगा।
2. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का ऑकलन हो सकेगा।
3. प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने में आने वाली समस्याओं की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
4. प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शत–प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य की पूर्ति हेतु एक सुनिश्चित कार्यक्रम देने में यह शोध कार्य महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करेगा।
5. 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने में किये जा रहे व्यय एवं उससे प्राप्त होने वाले लाभ के मध्य संतुलन हेतु योजना प्रस्तुत की जा सकेगी।

4. शोध परिकल्पनाएँ

प्रस्तुत शोध कार्य में निम्नलिखित शोध परिकल्पना का निर्माण किया गया है–

1 शोध क्षेत्र में 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम' का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है।

2 शोध क्षेत्र के निजी विद्यालयों में 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' द्वारा निर्धारित आरक्षण के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है।

3 निजी एंव शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

4 शोध क्षेत्र के विद्यालयों में पुस्तकालय एवं खेलकूद की सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायी जा रही है।

5 शोध क्षेत्र में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति व शिक्षा की समाप्ति सुनिश्चित की जा रही हैं।

5. पूर्ववर्ती शोध कार्यों का संक्षिप्त विवरण

भार्गव (1990) ने अपने शोध कार्य भारत के विशेष संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक सुविधाओं एवं नामांकन के विकास पर अध्ययन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुॅचे कि भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति, सहित सामान्य वर्ग की बालिकाओं में प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि हुई है। किन्तु प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ग्राम एवं विद्यालय स्तर पर छोटे आर्थिक नियोजन एवं विद्यालय से दूर बच्चों को विद्यालय तक ले जाने की बजाय सुविधा संपन्न विद्यालय बच्चों के बीच ले जाने की आवश्यकता है।

शुक्ला (1999) ने रीवा और सीधी जिले में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिये किये जा रहे प्रयासों एवं प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन किया और यह बताया कि डी.पी.ई.पी. योजना के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

मिश्र (2004) नें रीवा संभाग में बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की प्रभावशीलता का समीक्षात्मक अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्श पर पहुॅचे कि रीवा संभाग में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

गहरवार (2005) ने रीवा जिले में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के शैक्षिक नवाचारों का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभावशीलता का समीक्षात्मक अध्ययन किया और बताया कि राजीव गांधी शिक्षा मिशन योजना के परिणामस्वरूप प्राथमिक स्तर के छात्रों में नामांकन में वृद्धि हुई है। तथा योजना के शैक्षिक नवाचारों का प्रभाव, शाला त्यागी दर को कम करने में सहायक हुआ है।

Siddiqui (2006) ने universalisation of elementary education विषय पर शोध अध्ययन करके यह बताया कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये यह आवश्यक है कि विद्यालयों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाया जाय। साथ ही साथ अभिभावकों की जागरूकता भी आवश्यक है।

Maikhuri (2005) ने अपने शोध पत्र status of elementary education in rural areas of chamoli district of uttaranchal में बताया कि धीरे–धीरे अनिवार्य शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है तथा उनमें व्यापक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। विद्यालयों में लगातार नामांकन की संख्या बढ़ रही है और शाला त्यागी छात्रों की संख्या में प्रतिवर्ष गिरावट आ रही है, इसमें मध्याह्न भोजन योजना का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

Kansara (1977) ने अपने शोध कार्य A servey of basic education during the past thirty years and its effect on education in general and society in particular में इस निष्कर्श पर पहुॅचे कि भारत में बुनियादी शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिये सबसे आवश्यक है समाज के लोगों और शिक्षकों के मध्य बेहतर संबंध होना। साथ ही साथ औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में समन्वय के साथ शिक्षा की जरूरत पर बल दिया।

Tailor (2005) ने अपने शोध पत्र Primary education facilities in bihar में लिखा है अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है।

6. शोध विधियाँ एवं शोध उपकरण

रीवा संभाग का रीवा जिला शैक्षणिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक संस्थायें हैं तथा दिन प्रतिदिन इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप रीवा जिले में साक्षरता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में ''रीवा जिले में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, का प्रभाव : एक समीक्षात्मक अध्ययन'' विषय शोधार्थी ने शोध हेतु चुना।

शोध कार्य को सम्पूर्णता प्रदान करने हेतु कई प्रकार की [2]शोध विधियों का उपयोग किया जाता है। ये विधियॉ दो महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर होती हैं, पहला शोध कार्य की प्रगति व उसके उद्देश्यों की प्राप्ति एवं दूसरा शोध कार्य में समय की अवधि पर। वर्तमान शोध का उद्देश्य रीवा जिले में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, के प्रभाव का समीक्षात्मक अध्ययन करना है। सम्बन्धित शोध अध्ययन हेतु निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया गया है–

6.1 सर्वेक्षण विधि

शिक्षण तकनीक, छात्र–छात्राओं पर प्रतिक्रिया, अभिभावकों तथा शिक्षकों के विचार और अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों एवं पालक–शिक्षक संघ अध्यक्षों की धारणाओं का अध्ययन करने हेतु इस विधि का उपयोग किया गया है।

6.2 अवलोकन विधि

रीवा जिले के विभिन्न भागों में 'बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन किस प्रकार से संचालित किया जा रहा है तथा इसके प्रचार–प्रसार के लिए किन संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। इसके द्वारा छात्र नामांकन संख्या में वृद्धि, शाला त्यागी छात्रों की संख्या मे कमी व शिक्षा के अधिकार अधिनियम का रीवा जिले की साक्षरता वृद्धि में क्या योगदान है, इसका ज्ञान अवलोकन के द्वारा किया गया ।

6.3 अभिलेख अध्ययन विधि

शोध कार्य हेतु निम्नलिखित कार्यालयों से आकड़े प्राप्त किये है –

1. जिला सांख्यिकीय कार्यालय रीवा से जनगणना, साक्षरता व जनसंख्या वृद्धि आदि से संबंधित जानकारी।
2. जिला शिक्षा कार्यालय रीवा से शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी।
3. रीवा जिले के सभी विकासखण्डों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु किये गये कार्यों के अभिलेखों का अध्ययन।
4. रीवा जिले में स्थित अन्य निजी संस्थाओं द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम से सम्बंधित किये गये कार्यों के अभिलेखों का अध्ययन।
5. शोध कार्य से सम्बंधित, पत्र–पत्रिकाओं, शोध पत्रों एवं शोध ग्रंथों का अध्ययन।

6.4 शोध उपकरण

6.4.1 साक्षात्कार अनुसूची

शोधार्थी ने साक्षात्कार द्वारा ही रीवा जिले में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव के सम्बंध मे रीवा जिले के शिक्षा से सम्बंधित अधिकारियों, प्रधानाध्यापकों, पालक–शिक्षक संघ अध्यक्षों व अभिभावकों की प्रतिक्रियाओं की अस्पष्ट, शंकास्पद एवं गोपनीय तथ्यों की जानकारी प्रश्न पूँछकर प्राप्त की।

6.4.2 प्रश्नावली पत्रक

प्रश्नावली प्रश्नों की वह सूची है, जिसे एक निर्देशित जनसंख्या को उत्तर प्राप्त करने के लिए दिया जाता

है। यह उत्तर प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरक का कार्य करती है तथा इससे प्राप्त उत्तरों का व्यवस्थापन एवं सांख्यकीय विश्लेषण संभव है।

अपने शोध अध्ययन में शोधार्थी ने रीवा जिले के चुने हुए शासकीय एवं निजी प्रारंभिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों का सर्वेक्षण किया है। जिसमे विद्यालय भवन, प्रोत्साहन योजनाओं, छात्रो के नामांकन, शिक्षकों की समस्याओं, पालक–शिक्षक संघ व 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं से सम्बंधित बातों शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का प्रभाव, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के परिणामस्वरूप विद्यालयों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम के परिणामस्वरूप नामांकन सम्बंधी जन–जागरूकता आदि विषयों से संबंधित जानकारी हेतु प्रश्नावली का निर्माण किया गया है।

7. न्यादर्श चयन

शोधार्थी ने अपने शोध प्रबंध हेतु ''रीवा जिले में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम का प्रभाव : एक समीक्षात्मक अध्ययन'' शीर्षक के अन्तर्गत रीवा जिले के सभी नौ विकासखण्डों–रीवा, रायपुर–कर्चुलियान, गंगेव, सिरमौर, मऊगंज, नईगढ़ी, हनुमना, त्योंथर एवं जवा में से प्रत्येक से प्रारंभिक शिक्षा स्तर के 10–10 विद्यालयों, कुल 90 विद्यालयों (45 शासकीय + 45 अशासकीय) को विस्तृत शोध सर्वेक्षण हेतु न्यादर्श में चयनित किया गया है। तथा न्यादर्श में चयनित प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों, कुल 90 प्रधानाध्यापकों, प्रत्येक विद्यालय में कार्यरत 2–2 शिक्षकों, कुल 180 शिक्षकों, प्रत्येक विद्यालय के पालक–शिक्षक संघ अध्यक्षों, कुल 90 पालक–शिक्षक संघ अध्यक्षों, प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत् 10–10 बालक–बालिकाओं, कुल 900 बालक–बालिकाओं (450 बालक+450 बालिका), प्रत्येक विद्यालय में अध्ययनरत किन्हीं 4–4 बालक– बालिकाओं के अभिभावकों, कुल 360 अभिभावकों एवं एवं इसके अतिरिक्त प्रत्येक विकावखण्ड से शिक्षा विभाग से सम्बंधित 4–4 अधिकारियों, कुल 36 अधिकारियों को भी शोध सर्वेक्षण हेतु न्यादर्श में चयनित किया है। शोधार्थी ने सभी न्यादर्शों का चयन दैव–निदर्शन, विधि से किया है।

8. प्रदत्तों का संग्रहण, सारणीयन विश्लेषण एवं व्याख्या

शोधार्थी ने इन्हीं शोध उपकरणों के माध्यम से संग्रहित प्रदत्तों के सारणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्या द्वारा वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की, जिनका विवरण निम्नानुसार है–

तालिका क्रमांक 8.1: विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका क्रमांक–8.1 में शोध क्षेत्र रीवा जिले के न्यादर्श में चयनित प्रारम्भिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से साक्षात्कार के माध्यम से शोध क्षेत्र में ''शिक्षा के अधिकार अधिनियम' के क्रियान्वयन सम्बंधी जानकारी संकलित की गयी है।

तालिका क्रमांक–8.1 के ऑकड़े यह दर्शाते हैं, कि शोध क्षेत्र के न्यादर्श में चयनित कुल 90 प्रधानाध्यापकों में से 61 प्रधानाध्यापक यह मानते हैं, कि शोध क्षेत्र में 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम' का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है। तथा 18 प्रधानाध्यापक यह मानते हैं, कि शोध क्षेत्र में 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम' का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। जबकि 11 प्रधानाध्यापकों को शोध क्षेत्र में 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम' का क्रियान्वयन के सम्बंध में कुछ नहीं पाता है। इस प्रकार शोध क्षेत्र के 67.77 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों नें यह माना है, कि शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है। तथा 20.00 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों नें यह माना है, कि शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। जबकि 12.22 प्रतिशत प्रधानाध्यापकों को शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के सम्बंध में कुछ नहीं पता है।

तालिका क्रमांक 8.1: शोध क्षेत्र में 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम' के क्रियान्वयन का अध्ययन (आधार–प्रधानाध्यापक साक्षात्कार अनुसूची)

क्र.	विकासखण्डों के नाम	न्यादर्श में चयनित विद्यालयों की संख्या	न्यादर्श में चयनित प्रधानाध्यापकों की संख्या	शोध क्षेत्र में 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम' का क्रियान्वयन					
				ठीक ढंग से हो रहा है		ठीक ढंग से नहीं हो रहा है		कोई जानकारी नहीं है	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	श्रीवा	10	10	08	80.00	01	10.00	01	10.00
2.	रायपुर–कर्चुलियान	10	10	07	70.00	02	20.00	01	10.00
3.	ग्गेव	10	10	06	60.00	02	20.00	02	20.00
4.	सिरमौर	10	10	07	70.00	02	20.00	01	10.00
5.	मऊगंज	10	10	05	50.00	03	30.00	02	20.00
6.	नईगढ़ी	10	10	08	80.00	01	10.00	01	10.00
7.	ळनुमना	10	10	07	70.00	02	20.00	01	10.00
8.	त्योंथर	10	10	06	60.00	03	30.00	01	10.00
9.	ज्वा	10	10	07	70.00	02	20.00	01	10.00
	योग	90	90	61	67.77	18	20.00	11	12.22

तालिका क्रमांक 8.2: शोध क्षेत्र में 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम' के क्रियान्वयन का अध्ययन (आधार–पालक शिक्षक संघ अध्यक्ष साक्षात्कार अनुसूची)

क्र.	विकासखण्डों के नाम	न्यादर्श में चयनित विद्यालयों की संख्या	न्यादर्श में चयनित पालक–शिक्षक संघ अध्यक्षों की संख्या	शोध क्षेत्र में 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम' का क्रियान्वयन					
				ठीक ढंग से हो रहा है		ठीक ढंग से नहीं हो रहा है		कोई जानकारी नहीं है	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	श्रीवा	10	10	06	60.00	02	20.00	02	20.00
2.	रायपुर–कर्चुलियान	10	10	07	70.00	02	20.00	01	10.00
3.	ग्गेव	10	10	06	60.00	02	20.00	02	20.00
4.	सिरमौर	10	10	05	50.00	04	40.00	01	10.00
5.	मऊगंज	10	10	07	70.00	02	20.00	01	10.00
6.	नईगढ़ी	10	10	06	60.00	02	20.00	02	20.00
7.	ळनुमना	10	10	07	70.00	02	20.00	01	10.00
8.	त्योंथर	10	10	06	60.00	03	30.00	01	10.00
9.	ज्वा	10	10	07	70.00	02	20.00	01	10.00
	योग	90	90	57	63.33	21	23.33	12	13.33

तालिका क्रमांक 8.2: विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका क्रमांक–8.2 में शोध क्षेत्र रीवा जिले के न्यादर्श में चयनित प्रारम्भिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों के पालक–शिक्षक संघ के अध्यक्षों से साक्षात्कार के माध्यम से शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन सम्बंधी जानकारी संकलित की गयी है।

उपरोक्त तालिका क्रमांक–8.2 में शोध क्षेत्र के न्यादर्श में चयनित कुल 90 पालक–शिक्षक संघ अध्यक्षों में से 57 पालक–शिक्षक संघ के अध्यक्ष यह मानते हैं, कि शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है। 21 पालक–शिक्षक संघ के अध्यक्ष यह मानते हैं, कि शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। तथा 12 पालक–शिक्षक संघ के अध्यक्षों को शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के सम्बंध में कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार शोध क्षेत्र के 63.33 प्रतिशत पालक–शिक्षक संघ के यह मानते हैं, कि शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है। 23.33 प्रतिशत पालक–शिक्षक संघ के अध्यक्ष यह मानते हैं, कि शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। तथा 13.33 प्रतिशत पालक–शिक्षक संघ के अध्यक्षों को शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के सम्बंध में कोई जानकारी नहीं है।

तालिका क्रमांक 8.3ः विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका क्रमांक–8.3 में शोध क्षेत्र रीवा जिले के न्यादर्श में चयनित प्रारम्भिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों के शिक्षकों से प्रश्नावली पत्रक के माध्यम से शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन सम्बंधी जानकारी संकलित की गयी है।

तालिका क्रमांक–8.3 के ऑकड़े यह दर्शाते हैं, कि शोध क्षेत्र के न्यादर्श में चयनित कुल 180 शिक्षकों में से 119 शिक्षकों का मानना है, कि शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है। तथा 37 शिक्षक यह मानते हैं, कि शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। जबकि 24 शिक्षकों को शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन के सम्बंध में कुछ नहीं पाता है। इस प्रकार शोध क्षेत्र के 66.11 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है। तथा 20.55 प्रतिशत शिक्षकों के अनुसार शोध क्षेत्र में शिक्षा के

तालिका क्रमांक 8.3ः शोध क्षेत्र में 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम' के क्रियान्वयन का अध्ययन (आधार–शिक्षक प्रश्नावली पत्रक)

क्र.	विकासखण्डों के नाम	न्यादर्श में चयनित विद्यालयों की संख्या	न्यादर्श में चयनित शिक्षकों की संख्या	शोध क्षेत्र में 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम' का क्रियान्वयन					
				ठीक ढंग से हो रहा है		ठीक ढंग से नहीं हो रहा है		कोई जानकारी नहीं है	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	श्रीवा	10	20	12	60.00	05	25.00	03	15.00
2.	रायपुर–कर्चुलियान	10	20	13	65.00	04	20.00	03	15.00
3.	ग्गेव	10	20	14	70.00	04	20.00	02	10.00
4.	सिरमौर	10	20	12	60.00	05	25.00	03	15.00
5.	मऊगंज	10	20	15	75.00	03	15.00	02	10.00
6.	नईगढ़ी	10	20	13	65.00	04	20.00	03	15.00
7.	ळनुमना	10	20	15	75.00	03	15.00	02	10.00
8.	त्योंथर	10	20	13	65.00	04	20.00	03	15.00
9.	ज्वा	10	20	12	60.00	05	25.00	03	15.00
	योग	90	180	119	66.11	37	20.55	24	13.33

तालिका क्रमांक 8.4: शोध क्षेत्र में 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम' के क्रियान्वयन का अध्ययन (आधार–अभिभावक प्रश्नावली पत्रक)

क्र.	विकासखण्डों के नाम	न्यादर्श में चयनित विद्यालयों की संख्या	न्यादर्श में चयनित अभिभावकों की संख्या	शोध क्षेत्र में 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम' का क्रियान्वयन					
				ठीक ढंग से हो रहा है		ठीक ढंग से नहीं हो रहा है		कोई जानकारी नहीं है	
				संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	श्रीवा	10	40	24	60.00	09	22.50	07	17.50
2.	रायपुर–कर्चुलियान	10	40	26	65.50	08	20.00	06	15.00
3.	ग्गेव	10	40	28	70.00	07	17.50	05	12.50
4.	सिरमौर	10	40	23	57.50	10	25.00	07	17.50
5.	मऊगंज	10	40	25	62.50	09	22.50	06	15.00
6.	नईगढ़ी	10	40	23	57.50	10	25.00	07	17.50
7.	ळनुमना	10	40	24	60.00	10	25.00	06	15.00
8.	त्योंथर	10	40	24	60.00	08	20.00	08	20.00
9.	ज्वा	10	40	27	67.00	08	20.00	05	12.50
	योग	90	360	224	62.22	79	21.94	57	15.83

अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। जबकि 13.33 प्रतिशत शिक्षकों को शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के सम्बंध में कुछ नहीं पता है।

तालिका क्रमांक 8.4: विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका क्रमांक–8.4 में शोध क्षेत्र रीवा जिले के न्यादर्श में चयनित प्रारम्भिक शिक्षा स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं के अभिभावकों से शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन सम्बंधी जानकारी संकलित की गयी है।

तालिका क्रमांक–8.4 के ऑकड़े यह दर्शाते हैं, कि शोध क्षेत्र के न्यादर्श में चयनित कुल 360 अभिभावकों में से 224 अभिभावकों नें यह माना है, कि शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है। तथा 79 अभिभावकों नें यह माना है, कि शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। जबकि 57 अभिभावकों को शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के सम्बंध में कुछ नहीं पाता है। इस प्रकार शोध क्षेत्र के 62.22 प्रतिशत अभिभावकों नें यह माना है, कि शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है। 21.94 प्रतिशत अभिभावकों नें यह माना है, कि शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। जबकि 15.83 प्रतिशत अधिकारियों को शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के सम्बंध में कुछ नहीं पता है।

9. शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन सम्बंधी निष्कर्ष

'शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है।'

उक्त परिकल्पना के मूल्यांकन हेतु शोधार्थी ने शोध क्षेत्र के न्यादर्श हेतु चयनित प्रधानाध्यापकों, अधिकारियों, पालक–शिक्षक संघ अध्यक्षों एवं अभिभावकों से साक्षात्कार तथा शिक्षकों से प्रश्नावली पत्रक के माध्यम से शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की।

विश्लेषण एवं व्याख्या से यह निष्कर्ष निकलता है कि 67.77 प्रतिशत प्रधानाध्यापक, 63.33 प्रतिशत पालक–शिक्षक संघ अध्यक्ष, 66.11 प्रतिशत शिक्षक, 62.22 प्रतिशत अभिभावक एवं 69.44 प्रतिशत अधिकारी यह मानते हैं कि शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि शोध क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन ठीक ढंग से हो रहा है।

10. सुझाव

शोधार्थी प्राप्त निष्कर्शों के आधार पर शैक्षिक समस्याओं के संदर्भ में सुझाव प्रस्तुत कर शैक्षिक समस्या के समाधान में अपने विचार प्रकट करता है। शैक्षिक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में सुधारात्मक सुझावों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि सुझावों से शैक्षिक समस्या के निराकरण से सम्बद्ध व्यक्तियों एवं अधिकारियों को दिशा–निर्देशन प्राप्त होता है। अतः शोधार्थी ने इस शोध अध्ययन के उपरांत प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के सर्वव्यापीकरण एवं संपूर्ण सफलता हेतु कुछ सुझाव रखे हैं जो इस प्रकार हैं –

1. शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विद्यालयों को ठीक ढंग से सुसज्जित किया जाए।
2. विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के सम्पूर्ण विकास के लिए अच्छा वातावरण तैयार किया जाय।
3. छात्र–छात्राओं के बैठने के लिए विद्यालयों में उत्तम व्यवस्था की जाय।
4. बाल–श्रम पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाया जाय। एवं इससे सम्बंधित नियमों का ईमानदारी से पालन किया जाय।

11. भावी शोध कार्य हेतु संभावित बिन्दु

शोधार्थी ने ''रीवा जिले में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, का प्रभावः एक समीक्षात्मक अध्ययन'' विषय को शोध कार्य के रूप मे पूरा किया है। किन्तु अभी भी इस विषय से सम्बंधित अनेक बिन्दुओं पर शोध कार्य की अपार सम्भावनायें है। जिनमे से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार है–

1. रीवा जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के परिणामस्वरूप बालक–बालिकाओं के नामांकन वृद्धि दर का समीक्षात्मक अध्ययन।
2. रीवा जिले में प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर बच्चों के नामांकन एवं ठहराव की स्थिति का समीक्षात्मक अध्ययन।
3. रीवा जिले के निजी एवं शासकीय विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का तुलनात्मक अध्ययन।
4. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप बालक–बालिकाओं के अधिगम स्तर में प्रभाव का समीक्षात्मक अध्ययन।
5. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप शाला त्यागी ।
6. छात्र–छात्राओं पर प्रभाव का समीक्षात्मक अध्ययन।

12. शोध सम्बंधी समस्याएँ एवं अवरोध

रीवा जिले में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रभाव का समीक्षात्मक अध्ययन करने में शोधार्थी को अनेक समस्याओं एवं अवरोधों का सामना करना पड़ा है। जो इस प्रकार है–

1. शोध क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में से कुछ में भौतिक संसाधनो का नितांत अभाव है।
2. कुछ विद्यालयों में छात्र–छात्राओं यहाँ तक कि कर्मचारियों के भी बैठने की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है।
3. विद्यालयों को शासन द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सहायक शिक्षण सामग्री पर्याप्त नहीं है।
4. शोध क्षेत्र में विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के विचारधाराओं में सामन्जस्य नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- कुमारी, शारदा (2005). प्राथमिक स्तर पर आंकलन की प्रक्रिया, 'प्राथमिक शिक्षक', N.C.E.R.T. की त्रैमासिक पत्रिका, वर्ष 30, अंक +2, पृ. 46–50।
- गहरवार मिथलेस सिंह (2005)– रीवा जिले में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के शैक्षिक नवाचारो का छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभावशीलता का समीक्षात्मक अध्ययनः अप्रकाशित शोध ग्रंथ शिक्षा, अ.प्र.सिं.वि.वि. रीवा।
- गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (1991) *जनगणना रिर्पोट,* नई दिल्ली।
- गवर्नमेंट ऑफ इंडिया (2001) *जनगणना रिर्पोट,* नई दिल्ली।
- पाण्डेय, जितेन्द्र कुमार (2007) भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार : दशा और दिशा. *कुरूक्षेत्र, मासिक पत्रिका,* ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, वर्ष 53, अंक–11, पृष्ठ–7–9।
- पाण्डेय, राजेश कुमार, मिश्रा, किरन एवं पाण्डेय, एस. एन. (2008). बदलते सामाजिक परिवेश में अध्यापक की भूमिका। *Indian Journal of Teacher Education. Anwenshika*, Vol. 5, No. 1, pp. 99-103.
- पंत, नवीन (2007). ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के बढ़ते कदम. *'कुरूक्षेत्र,' मासिक पत्रिका,* ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली वर्ष 53, अंक–11, पृ0 32–34।
- पारसनाथ राय (2004). अनुसंधान परिचय लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा।
- योगेन्द्र कुमार कुमावत, 2010– बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, *प्रतियोगिता दर्पण,* मासिक पत्रिका, मई पृष्ठ क्र. 1923–182
- Leela (1977) शोध कार्य "A servey of basic education during the past thirty years and its effect on education in general and society in particular."
- Rajesh tailor (2005) शोध पत्र "Primary education facilities in bihar"
- Rama maikhuri (2005) शोध पत्र "status of elementary education in rural areas of chamoli district of Uttaranchal"
- Saima siddiqui (2006) "universalisation of elementary education"